



प्रेस विज्ञप्ति



सडक दुर्घनाओ की रोकथाम बाबत राज्य राजमार्गो पर जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक:-19.12.2022

श्री विनीत कुमार बंसल पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात जोधपुर व श्री चैनसिंह महेचा अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात जोधपुर के सुपरविजन में एवं श्री अनिल कुमार सहायक पुलिस आयुक्त पश्चिम, श्री शिवनारायण चौधरी सहायक पुलिस आयुक्त यातायात पूर्व जोधपुर के नेतृत्व में दिनांक 18.12.2022 को जोधपुर-पाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 पर स्थित ग्राम-सांगरिया व ग्राम-कांकाणी तथा आज दिनांक 19.12.2022 को जोधपुर-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 पर स्थित ग्राम-खोखरिया, ग्राम सोडेर तथा ग्राम-नान्दड़ा कला में सम्बन्धित पुलिस थाना टीमें व यातायात शिक्षा प्रभारी श्री हनुमानसिंह हैकानि 1201 मय टीम द्वारा यातायात शिक्षा मोबाईल वैन के माध्यम से यातायात नियमों की विडियो क्लिप/ लघु फिल्म दिखाकर यातायात नियमों की विस्तार से जानकारी दी।

कार्यक्रम के दौरान सडक दुर्घटनाओं में मृत्यु के प्रमुख कारणों में पालतू/आवारा पशु होने के कारण पालतू पशुओं के मालिकों को इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी दी गई। सडक दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु पालतू पशु मलिकों व ग्रामीण आमजनों को पशुओं को सडकों पर से हटाने के आवश्यक उपाय करने बाबत समझाईस की गई। ग्रामीण आमजनों को सडक पर चढते व उतरते समय व सडक को पार करते समय रखी जाने वाली सावधानियों तथा गलत दिशा में वाहन नही चलाने व आईएसआई मार्के के हैलमैट का प्रयोग करने व इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में जानकारी दी गई। तथा ग्रामीण आमजन व वाहन चालकों की रात्रिकालीन जानमाल की सुरक्षा हेतु अपने पालतू पशुओं को सडक पर नही छोडने की समझाईस के साथ पशुओं के सीगों पर लगाने के लिए रिफ्लेक्टर प्रदान किए सडक दुर्घटना में घायल व्यक्ति त्वरित मदद कर तुरन्त अस्पताल पहुँचाने वाले गुड-सेमेरिटन (अच्छे मददगार) सम्बन्धी माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देश एवं प्रदेश में “मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना” के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी ग्रामीणों को यातायात नियमों के पेम्पलेटस व पशुओं के सीगो पर चिपकाने हेतु रिफ्लेक्टर वितरित किये ।

(चैनसिंह महेचा)

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त
यातायात, आयुक्तालय जोधपुर











